[2021] 1 एस.सी.आर. 51

डेप्युटी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य

बनाम

अजय कुमार श्रीवास्थवा

(सिविल अपील सं. 17-18/2021)

05 जनवरी, 2021

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः बैंक सेवा-धन का दुरुपयोग सेवा से बर्खास्तगी-पूछताछ अधिकारी ने अपनी जांच में पाया रिपोर्ट करें कि प्रतिवादी ने न तो कोई प्रस्तुत किया दस्तावेज़ और न ही आत्मरक्षा में गवाह और यहाँ तक कि कभी भी अनुरोध नहीं किया उसे अपनी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा उसका बचाव करने की अनुमति दें-पूछताछ अधिकारी ने सभी आरोपों की जांच की और पाया कि आरोप 2 से 7 साबित हुए जबकि आरोप संख्या। 1 साबित नहीं होने के लिए आयोजित किया गया था-अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच के रिकॉर्ड पर फिर से विचार किया और निष्कर्ष को बरकरार रखा

शुल्क सं. के संदर्भ में तथ्य। 2-7 आरोप सं. पर निष्कर्ष पर असहमति जताई। 1 और प्रभार सं। 1 साबित करने के लिए-अपीलीय प्राधिकरण को बरकरार रखा गया अनुशासनात्मक प्राधिकरण का निष्कर्ष और पुष्टि की बर्खास्तगी की सजा-उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी की सजा को यह मानते हुए दरकिनार कर दिया कि उस पर अनुशासनात्मक अधिकार की असहमति है शुल्क सं। 1 कर्मचारी के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया और इसके अलावा, अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण ने एक गैर-बोलने वाला आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था - अपील की गईः की रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण जाँच, यदि जाँच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत नहीं थी, तो असहमति के अपने कारणों को दर्ज करने और अपराधी को अपने अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले उसके स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का दायित्व था-इस प्रकार, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और जो प्रतिवादी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बना और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था-जहां तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष का संबंध है। आरोप संख्या 1 के संदर्भ का संबंध था, जिसे उसे दोषी ठहराने में उचित नहीं ठहराया जा सकता था-लेकिन आरोप संख्या। 1 अलग किया जा सकता है अन्य शुल्कों से (शुल्क संख्या। 2-7) प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप लगाया गया जो जांच अधिकारी द्वारा साबित पाया गया-यदि बर्खास्तगी का आदेश आरोप संख्या के निष्कर्षों पर आधारित था। 1 अकेले, न्यायालय के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करना संभव होता, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में अपराध के निष्कर्ष को दर्ज किया जा रहा है। 2-7 और अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी जिसमें हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और उन निष्कर्षों ने गंभीर अपराध के अपराध को स्थापित किया।

न्यायिक समीक्षाः आयोजित होने का क्षेत्रः संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि निर्णय के गुण–यह व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए।

भारत का संविधानः कलाएँ। 226 , 136 – अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति–संवैधानिक न्यायालय जबकि संविधान के Art.226 या Art.136 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक मामले को छोड़कर विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

दुर्भावना या विकृति, अर्थात, जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उचित रूप से और वस्तुनिष्ठता के साथ उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक इसे बनाए रखना होगा।

सेवा कानूनः विभागीय जाँच–यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जाँच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।

– – हालांकि, कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप इस तरह के साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

जो एक उचित व्यक्ति उचित और वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य करता है

अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बनाए रखने वाले निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

बैंक/बैंकिंगः बैंक सेवा–धन का दुरुपयोग सेवा से बर्खास्तगी–बैंकिंग व्यवसाय में पूर्ण समर्पण,

सत्यनिष्ठा और ईमानदारी प्रत्येक बैंक कर्मचारी के लिए एक अनिवार्य शर्त है–इसके लिए कर्मचारी को अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के धन के साथ व्यवहार करता है और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास बिगड़ जाएगा–इस अतिरिक्त कारण से, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करने में गलती की, जिसके खिलाफ बैंक कर्मचारी के निष्कर्षों के अनुसार – गंभीर अपराध का अपराध स्थापित किया गया था।

अजय कुमार श्रीवास्थवा

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अपीलीय प्राधिकारी के रूप में योग्यता। न्यायालय/न्यायाधिकरण अपराधी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष या निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। बिना किसी सबूत के। यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंचा होगा या जहां

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचाए गए साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष विकृत है या अभिलेख के सामने पेटेंट त्रुटि से ग्रस्त है या किसी भी साक्ष्य के आधार पर, प्रमाणपत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है। [पारस 23, 25] [70–ई; 71–सी–ई]

तमिलनाडु राज्य बनाम। टी. वी. वेणुगोपालन (1994) 6 एस. सी. सी. 303: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 411; टी. एन. की सरकार और एक अन्य बनाम ए. राजापांडियन (1995) 1 एस. सी. सी. 216: [1994] 4 पूरक। एससीआर 707; बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 749: [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 644; हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम। महेश दहिया (2017) 1 एससीसी 768: [2016] 9 एस. सी. आर. 879; प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (2020) 9 एस. सी. सी. 471–पर निर्भर थे।
उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। बिद्याभूषण महापात्रा

ए. आई. आर 1963 एस. सी 779: [1963] पूरक। एससीआर 648; पी. डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 776: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 454–संदर्भित।

2. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर,

अनुशासनात्मक प्राधिकारी निष्कर्षों से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी। पूर्व द्वारा दर्ज, असहमति के मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को असहमति के कारणों को दर्ज करना होता है और अपराधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इस तरह के अभ्यास के लिए पर्याप्त हैं या अन्यथा मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेज सकते हैं। [पैरा 27] [71–जी–एच; 72–ए]

3. यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं। विभागीय जाँच कार्यवाही के लिए। हालांकि, कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप को ऐसे साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जो उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए एक उचित व्यक्ति अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बनाए रखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। यह सच है कि केवल अनुमान या अनुमान विभागीय जांच कार्यवाही में भी अपराध के निष्कर्ष को कायम नहीं रख सकते हैं। [पैरा 28] [72–बी–सी]

4. यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत नहीं था, तो यह एक असहमति के अपने कारणों को दर्ज करने और अपराधी को पहले अपने स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का दायित्व उसके अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करना और निर्विवाद रूप से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इसने प्रतिवादी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है और वास्तव में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। आरोप संख्या 1 के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष को उसे दोषी ठहराने में उचित नहीं ठहराया जा सका। लेकिन चार्ज नं. 1 जिसके संदर्भ में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पलट दिया जाना अलग करने योग्य है

अन्य शुल्क (शुल्क संख्या। 2–7) प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप लगाए गए जो पूछताछ अधिकारी द्वारा साबित पाए गए और विभिन्न चरणों में प्रस्तुत अपने लिखित संक्षिप्त विवरण में प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को पूरा करने के बाद अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा तथ्य के निष्कर्ष की पुष्टि की गई। [पैरा 34,35]

[73 – जी–एच; 74–ए–सी]

5. यदि बर्खास्तगी का आदेश के निष्कर्षों पर आधारित था

शुल्क सं। 1 अकेले, न्यायालय के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करना संभव होता, लेकिन दोषी पाए जाने पर जांच अधिकारी द्वारा संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया जा रहा है–सामान्य प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) v.

शुल्क संख्या। 2–7 और अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई और हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और उन निष्कर्षों ने गंभीर अपराध के अपराध को स्थापित किया जो प्रत्यर्थी कर्मचारी को बर्खास्त करने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही एक स्पष्ट त्रुटि थी। [पैरा 36] [74–सी–ई]

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। बिद्याभूषण महापात्रा ए. आई. आर 1963 एस. सी 779: [1963] पूरक। एस. सी. आर. 648–अनुसरण किया गया।

बिन्नी लिमिटेड बनाम कामगार (1972) 3 एस. सी. सी. 806: [1972]

3 एस. सी. आर. 518; स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम। की स्थिति

पंजाब और अन्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 232–पर निर्भर थे।

6. बैंकिंग व्यवसाय में पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा और

ईमानदारी हर बैंक कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। इसके लिए कर्मचारी को अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के धन से निपटता है और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास बिगड़ जाएगा। यह इस अतिरिक्त कारण से है, उच्च न्यायालय ने

के क्रम को अलग रखने में एक स्पष्ट त्रुटि की विभागीय अपील में प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी की पुष्टि की गई। [पैरा 43] [77–ए–सी]

मामला कानून संदर्भ		
[1963] पूरक। एससीआर 648	पैरा 16	संदर्भित किया गया है

[2006] 1 पूरक। एससीआर 454	पैरा 16	संदर्भित किया गया है
[1994] 2 पूरक। एससीआर 411	पैरा 23	पर भरोसा करें
[1994] 4 पूरक। एससीआर 707	पैरा 23	पर भरोसा करें
[1995] 4 पूरक। एससीआर 644	पैरा 23	पर भरोसा करें
[2016] 9 एससीआर 879	पैरा 24	पर भरोसा करें
(2020) 9 एस. सी. सी. 471	पैरा 24	पर भरोसा करें
[1963] पूरक। एससीआर 648	पैरा 37	के बाद
[1972] 3 एससीआर 518	पैरा 38	पर भरोसा करें
ए आई आर 1976 एस. सी. 232	पैरा 39	पर भरोसा करें
[2021] 1 एस. सी. आर	पैरा 39	पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 17–18/2021

2018 की विशेष अपील संख्या 479 और विशेष अपील संख्या 479 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.09.2018 से

2018 की दोषपूर्ण अपील संख्या 357।

आर. बसंत, Sr.Adv। , संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अरविंद कुमार शुक्ला, संजय कुमार मिश्रा, निहाल अहमद, सुश्री अश्वथी एम. के., उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई

2. 13 सितंबर के फैसले और आदेश से असंतुष्ट,

2018 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित, तत्काल अपीलों को अपीलार्थी बैंक के कहने पर प्राथमिकता दी गई है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं – कि अपीलार्थी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत निगमित और गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रत्यर्थी 07

दिसंबर, 1981 को इलाहाबाद की ममफोर्डगंज शाखा में कैशियर/क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुए। ड्यूटी पर रहते हुए, उनके द्वारा एक कदाचार किया गया था, जिसके लिए उन्हें 14 अगस्त, 1995 के आदेश द्वारा पहले स्थान पर निलंबित कर दिया गया था और बाद में 11 अप्रैल, 1996 के आरोप पत्र में उन पर धन के दुरुपयोग के सात आरोपों का विवरण दिया गया था, जो उन्होंने बैंक के एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए थे।

4. यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि अपने विभिन्न खातों में जाली क्रेडिट देकर बैंक के पैसे के स्वयं के दुरुपयोग के लिए।

जिस शाखा में वह तैनात थे, उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471 के साथ आई. पी. सी. की धारा 120–बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।

5. 11 अप्रैल, 1996 का आरोप–पत्र जारी होने के बाद, प्रतिवादी अपराधी ने अपना 08 मई, 1996 का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें इनकार किया गया था।

सभी आरोप। इसके बाद जांच अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक के पुरस्कार कर्मचारियों के लिए लागू द्विदलीय निपटान के संदर्भ में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी ने अनुशासनात्मक जांच में भाग लिया था और जांच अधिकारी ने राष्ट्रीयकृत बैंक के पुरस्कार कर्मचारियों के लिए लागू द्विदलीय समझौते के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद (अपीलीय प्राधिकरण) अनुशासनात्मक प्राधिकारी को 22 मई, 1999 की उनकी जांच रिपोर्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरोप संख्या 1 साबित नहीं हुआ था, साथ ही आरोप संख्या को अभिनिर्धारित किया गया था। 2 7 उनके खिलाफ साबित हुए। 22 मई, 1999 की अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने देखा है कि प्रतिवादी ने जांच के दौरान कहा कि वह न तो अभियोजन दस्तावेजों के बारे में कुछ कहना चाहता है और न ही वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से कोई सवाल पूछना चाहता है और अपने खाते में काल्पनिक क्रेडिट के बारे में बचाव में अपने बयान को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, जो उसके खिलाफ बैंक के धन के दुरुपयोग का आरोप था और तथ्य यह है कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बैंक द्वारा विधिवत ऑडिट किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया था।

6. उन दस्तावेजों के साथ आरोपों का उद्धरण जिन पर जांच अधिकारी ने भरोसा किया और आरोप को साबित करने के लिए निर्धारित किया

प्रत्यर्थी के खिलाफ विस्तार से चर्चा नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

आरोप/आरोप संख्या 1:

16.02.1994 पर, बचत बैंक खाता संख्या। 12215 श्री आई. एस. वर्मा

(एक खाताधारक) से रु। 1,09,600 / – और Rs.89,600/– की आंशिक राशि उनके चालू खाते संख्या में जमा की गई। पी–51 खाताधारक की सहमति के बिना।

उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

पीईएक्स–1

1, 09 रुपये के लिए दिनांकित 16.02.1994 डेबिट वाउचर, 600.00 से संबंधित

श्री आई. एस. वर्मा का बचत बैंक खाता No.12215।

चालू खाता क्रेडिट वाउचर दिनांक Rs.89 के लिए 16.02.1994, चालू खाता संख्या 600 से संबंधित है। श्री श्रीवास्तव (ई. पी. ए.) का पी–15। पीईएक्स–3

चालू खाते की खाता–पत्र सं। पी–51। आरोप साबित नहीं हुआ है।

आरोप/आरोप सं. 2:

श्री श्रीवास्तव ने [2021] 1 एस. सी. आर. को धोखा देने के उद्देश्य से शाखा में कुछ कर्मचारियों के साथ साजिश रची।

बैंक और तदनुसार अनुसूची संख्या 4 के माध्यम से शाखा समाशोधन सामान्य खाते में रुपये 4,87,300 के लिए एक नकली डेबिट जुटाया गया था और यह राशि पहले श्री के. सी. मिगलानी के पक्ष में बचत बैंक खाते No.7547 में डाली गई थी। इस राशि को बाद में 25.03.1994 और 04.04.1994 पर किश्तों में निकाला गया और Rs.89,150 और Rs.10,000 की राशि का उनके द्वारा उनके चालू खाते में जमा करके दुरुपयोग किया गया। पी–15 उपरोक्त तिथियों पर। उपरोक्त आरोपों/आरोपों को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किएः

रु. 4,87,300 के लिए शाखा समाशोधन सामान्य खाता अनुसूची संख्या 4 दिनांकित 25.03.1994। पेक्स–5:

श्री के. सी. मिंगलानी के बचत बैंक खाते No.7547 से संबंधित रुपये 4,87,300 के लिए दिनांकित 25.03.1994 का बचत बैंक क्रेडिट वाउचर।

पेक्स–6:

रुपये 2,36,550 के लिए दिनांकित 25.03.1994 का डेबिट वाउचर

श्री के. सी. मिगलानी का बचत बैंक खाता No.7547। पेक्स–7:

चालू खाता क्रेडिट वाउचर दिनांकित 25.03.1994 के लिए Rs.89, चालू खाता संख्या 150 से संबंधित है। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का पी–51।

पेक्स–8: रुपये के लिए दिनांकित 04.04.1994 डेबिट वाउचर. 2,40,750 संबंधित

चालू खाता क्रेडिट वाउचर दिनांकित Rs.10600 के लिए चालू खाता सं. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का पी–51, वास्तव में वाउचर रुपये में है। 10000 . पीईएक्स–10

पीईएक्स–11 चालू खाते की खाता–पत्र सं। पी–15 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव केंद्र शासित प्रदेश सामान्य प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) v.

आरोप साबित हो जाता है। आरोप/आरोप सं. 3:

आईडी1 पर, श्री श्रीवास्तव ने शाखा में कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक को धोखा देने की साजिश रची और तदनुसार रुपये का नकली डेबिट किया। 5,00,000 / – शाखा के बचत बैंक में ए/सी जुटाया गया था और उपरोक्त में से रु। 2,00,000 / – था।

अपने चालू खाते में क्रेडिट के माध्यम से उसके द्वारा दुरुपयोग किया गया नं। पी–51।

उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किएः

पी. ई. एक्स.–12–बचत बैंक दिवस पुस्तिका दिनांक 22.09.1994 पीईएक्स–13–वर्तमान ए/सी दिन की पुस्तक दिनांक 22.09.1994

पी. ई. एक्स.–14–वर्तमान ए/सी सं. की लेजर शीट। पी–51 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से संबंधित है।

आरोप साबित हो गया है।

आरोप/आरोप सं. 4: आई. डी. 3 पर, श्री श्रीवास्तव ने बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से शाखा में कुछ कर्मचारियों के साथ साजिश रची और तदनुसार शाखा के चालू खाते में आई. डी. 4 का एक नकली डेबिट जुटाया गया और उपरोक्त राशि में से 2,50, आई. डी. 1 और आई. डी. 2,000/– की राशि का उनके द्वारा अपने चालू खाते में जमा करके दुरुपयोग किया गया। पी–51 और

बचत बैंक ए/सी। No.11068 श्रीमती का पक्ष लेते हुए। रश्मि श्रीवास्तव (उनकी पत्नी)। उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किएः

पी. ई. एक्स.–15–डेबिट वाउचर दिनांकित 30.12.1994 रुपये. 5,30,000/चालू खाता खाता सं. 2 .पी. ई. एक्स.–17–बचत बैंक क्रेडिट वाउचर दिनांक 30.12.1994 Rs.25,000/– बचत बैंक ए/सी संख्या से संबंधित है। 11068 श्रीमती. रश्मि श्रीवास्तव। पी. ई. एक्स.–18–बचत बैंक की खाता पत्रक ए/सी संख्या। 11068 श्रीमती. रश्मि श्रीवास्तव (पृष्ठ no.70/16)।

आरोप साबित हो जाता है।

आरोप/आरोप सं. 5:

30.05.1995 पर, श्री श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी से S. B. A. C. No.11068 fvg में रुपये 2,30,000 का नकली डेबिट जुटाया। श्रीमती. रश्मि श्रीवास्तव (उनकी पत्नी) जिसमें कोई ऋण शेष राशि उपलब्ध नहीं थी

और उनके चालू खाते नं. पी–51 बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से उपरोक्त राशि के साथ। उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किएः

पी. ई. एक्स.–18–बचत बैंक की लेज शीट ए/सी संख्या। 11068

पी. ई. एक्स.–19–बचत बैंक खाता संख्या से संबंधित रुपये 2,30,000/के लिए दिनांकित 30.05.1995 का डेबिट वाउचर। 11068 श्रीमती. रश्मि

श्रीवास्तव

पी. ई. एक्स.–21–बचत बैंक दिनपुस्तिका दिनांक 30.05.1995 आरोप साबित हो जाता है।

आरोप/आरोप सं. 6:

31.05.1995 पर, श्री श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी से S. B. A/C No.11068 fvg में रुपये 3,60,000 का नकली डेबिट जुटाया। श्रीमती. रश्मि श्रीवास्तव (उनकी पत्नी) जिसमें कोई क्रेडिट शेष राशि उपलब्ध नहीं थी और उन्होंने अपनी आंशिक राशि रु. 3,00,000 अपने चालू खाते में जमा कराई। पी–51 बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से।

उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किएः

पी. ई. एक्स.–24–वर्तमान ए/सी संख्या से संबंधित खाता पत्रक। पी–51।

पी. ई. एक्स.–25–सेविंग बैंक डेबुक दिनांक 31.05.1995 डेप्युटी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकरण) v. अजय कुमार श्रीवस्तवा [अजय रस्तोगी, जे.]

पी. ई. एक्स.–26 वर्तमान ए/सी दिनपुस्तिका दिनांकित 31.05.1995

आरोप साबित हो जाता है।

आरोप/आरोप सं. 7:

20.10.1993 पर, श्री श्रीवास्तव ने श्री के. सी. मिगलानी एस. बी. खाते No.7547 से Rs.35,000.00 उधार लिया।

बैंक की अनुमति के बिना शाखा।

उपरोक्त आरोप/आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत कियाः

पीईएक्स–25 ए–सीएच की फोटोकॉपी। No.775157 दिनांकित 29.10.1993

Rs.35,000/के लिए

पीईएक्स–26 ए–बचत बैंक क्रेडिट वाउचर दिनांकित 29.10.1993 के लिए

बचत बैंक ए/सी संख्या से संबंधित। 7547 श्री के. सी. मिगलानी। पी. ई. एक्स.–28–वर्तमान ए. सी. संख्या से संबंधित Rs.35,000/– के लिए वर्तमान ए. सी. क्रेडिट वाउचर दिनांकित 20.10.1993। श्री अजय कुमार का पी–51

श्रीवास्तव आरोप साबित हो जाता है।

7. जांच की विस्तृत रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने के लिए कड़ी मेहनत की और

जाँच अधिकारी द्वारा साबित आरोप Nos.2 7 के संदर्भ में तथ्य के निष्कर्ष से सहमति जताते हुए जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत थे। 1 और अपनी असहमति के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए आरोप संख्या 1 को साबित करने के लिए अभिनिर्धारित किया और अपने निष्कर्ष के साथ 29 जून, 1999 की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान की।

असहमति (आरोप सं। 1) प्रतिवादी अपराधी से पूछताछ के रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया राय के साथ उसके लिखित स्पष्टीकरण की मांग करना।

8. 29 जून, 1999 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति के नोट पर आपत्ति जताते हुए किए गए संचार के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप सं। 1 , उसी समय, अन्य शुल्क संख्या के संदर्भ में। 2 7 के लिए जिन्हें साबित किया गया था और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार किया गया था, कोई विशिष्ट आपत्ति [2021] 1 एस. सी. आर. नहीं थी।

जांच अधिकारी द्वारा खंडन में जांच या बचाव के दौरान किए गए किसी भी पूर्वाग्रह पर विचार नहीं किया गया या अनुशासनात्मक जांच करने में निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर विचार नहीं किया गया, किसी भी दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य का समर्थन किए बिना सामान्य प्रकृति की अस्पष्ट आपत्तियां उठाई गईं और प्रतिवादी की आपत्तियों में से एक यह थी कि जब कोई आपराधिक मामला शुरू किया गया था और सी. बी. आई. द्वारा परीक्षण/जांच लंबित थी तो अनुशासनात्मक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और एक लंबित आपराधिक मामले में उसके खिलाफ शुरू की गई जांच/मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना विभागीय जांच के समापन ने उसके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया है।

9. कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में प्रतिवादी द्वारा कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं उठाए जाने के बावजूद, फिर भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट सहित जांच के रिकॉर्ड पर फिर से विचार किया, जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने अपनी प्रथम दृष्टया राय की पुष्टि की जो उन्होंने 29 जून, 1999 को अपने संचार में व्यक्त की है और इसके संदर्भ में –

प्रत्यर्थी इंगित करेगा कि यह केवल कारणदर्शक नोटिस के जवाब में उठाई गई सामान्य आपत्ति का प्रतिबिंब था, जिसमें अपील में कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं था कि अनुशासनात्मक जांच करने में जांच अधिकारी द्वारा की जा रही प्रक्रियात्मक त्रुटि क्या थी या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन या जांच के दौरान उसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा किया जा रहा था या कार्रवाई पक्षपातपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण थी जो कुछ अन्य कारणों से शुरू की गई थी, और कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं थी। आरोप संख्या के संदर्भ में आपत्ति जताई गई थी। 2–7 सामान्य आपत्तियों के अलावा उनके खिलाफ साबित होते हैं जो बिना किसी आधार के अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं।

11. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विभागीय अपील की जांच की गई और जांच के रिकॉर्ड पर ध्यान देते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने देखा कि प्रतिवादी द्वारा उठाई गई कथित आपत्तियां इतनी अस्पष्ट हैं कि कोई सहायक आधार नहीं है जैसा कि डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकरण) के आदेश के पैरा 2 से परिलक्षित होता है। अपीलीय प्राधिकारी और जांच के अभिलेख को देखने और प्रतिवादी द्वारा अपनी अपील में लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर ध्यान देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण ने अपने आदेश में कारण सौंपे जो पैरा 3 (i) से (viii) में परिलक्षित होते हैं और अंत में अपील को कोई योग्यता नहीं रखते हुए और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप दंड मानते हुए, बर्खास्तगी के दंड की पुष्टि की, जो प्रतिवादी के कहने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में चुनौती का विषय था।

12. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि एक विस्तृत निर्णय पारित किया है, लेकिन पूरा ध्यान आरोप संख्या पर था। 1 जो

हमें।

13. दलीलों के दौरान, यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि प्रतिवादी के खिलाफ अपराधों के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया है

आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471 के साथ पठित धारा 120–बी आई. पी. सी. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत, प्रतिवादी कर्मचारी को 31 मई, 2019 के एक फैसले द्वारा विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. अदालत संख्या 1, लखनऊ की विद्वत अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और दोषी ठहराया गया और जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और चूक में तीन महीने के कारावास से गुजरना पड़ा।

14. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी अपराधी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था

जाँच और यह प्रतिवादी का मामला कभी नहीं था कि अनुशासनात्मक नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या जाँच उस प्राधिकारी द्वारा की गई थी जो कानून के तहत सक्षम नहीं था या जिन निष्कर्षों या निष्कर्षों पर जाँच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में पहुँचा गया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, वे अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। इसके अभाव में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई याचिका में कहा गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने एक [2021] 1 एस. सी. आर. पारित किया है।

बुद्धि के प्रयोग के बिना गैर–बोलने वाले क्रम में योग्यता का अभाव है और यह अभिलेख पर सामग्री से प्रमाणित नहीं है।

15. इसके विपरीत, जांच अधिकारी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में आरोप संख्या रखने के ठोस कारणों को दर्ज किया। 2–7 अपराधी कर्मचारी के खिलाफ साबित हुआ। अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपनी प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करते हुए और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दिए जाने के संभावित दृष्टिकोण के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति के बाद और प्रतिवादी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए और विचार में उनके लिखित उत्तर का नोट, तथाकथित कथित आपत्तियों से निपटा है, रिकॉर्ड पर दस्तावेजों द्वारा समर्थित कारण बताए जाने के बाद सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखने में व्यक्त किए गए अपने अस्थायी विचार की पुष्टि करता है। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एल. पी. ए. में पुष्टि किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश कानून में अस्थिर है।

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक आरोप सं। 1 यह सच है कि जांच अधिकारी को आरोप संख्या नहीं मिली है। 1

साबित हो गया लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करते हुए असहमति के अपने कारणों को दर्ज किया है, आरोप सं. 1 अपराधी कर्मचारी को जांच की रिपोर्ट के साथ, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज असहमति के नोट के अपने लिखित जवाब में अपराधी प्रतिवादी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उन्हें एक उचित अवसर प्रदान किया गया और उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम विद्याभूषण में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की सहायता ली गई। महापात्रा 1 जिस पर इस न्यायालय द्वारा पी. डी. अग्रवाल बनाम मामले में आगे विचार किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप संख्या के निष्कर्ष के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश। 2–7 , जिसे जांच अधिकारी द्वारा साबित किया गया था और अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी, प्रतिवादी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराता है।

बर्खास्तगी और हस्तक्षेप के दंड को बनाए रखने में अपराध उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपराधी पर लगाए गए दंड का आदेश उचित नहीं था और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया निष्कर्ष और स्वतंत्र रूप से जांच के रिकॉर्ड की जांच करने में विफल रहा और लिखित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 1 ए. आई. आर 1963 एस. सी 779

18. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जब जांच अधिकारी को आरोप संख्या नहीं मिली है। 1 सिद्ध हुआ और अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत था, सबसे पहले, असहमति का एक नोट दिया है, जिसमें उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके बाद ही उनके लिए कानून और उस प्रक्रिया के अनुसार अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से जांच के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए खुला था जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को आरोप संख्या के संदर्भ में दोषी ठहराने में अपनाई गई थी। 1 यह न केवल एक प्रक्रियात्मक त्रुटि थी, बल्कि प्रतिवादी के लिए एक बड़ा पूर्वाग्रह था और इस तरह के दोष को निर्णय के बाद की सुनवाई से ठीक नहीं किया जा सकता था, जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सही ठहराया है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। 20. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में देखा है कि प्रतिवादी न तो अपराधी है

आत्मरक्षा में कोई दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किया। साथ ही, उन्होंने कभी भी अपनी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा उनका बचाव करने की अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने जांच के दौरान आगे कहा कि वह न तो अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों के बारे में कुछ कहना चाहते थे और न ही वह पेश करने वाले अधिकारी से कोई सवाल पूछना चाहते थे। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, बचाव पक्ष के संक्षिप्त विवरण और प्रतिवादी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों सहित जांच के रिकॉर्ड पर ध्यान देते हुए, जांच अधिकारी ने प्रत्येक आरोप संख्या की जांच की। 1 7 तक और विस्तृत विश्लेषण के बाद, प्रत्येक आवेश के संदर्भ में अपने निष्कर्ष को अलग से दर्ज किया और आवेश संख्या पाया। 1 साबित नहीं हुआ, उसी समय आरोप संख्या। 2–7 अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित किए गए।

21. जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जाँच के रिकॉर्ड पर फिर से विचार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें आरोप पत्र, आरोप पत्र का जवाब, जाँच कार्यवाही, 22 मई, 1999 के जाँच अधिकारी के निष्कर्ष, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का संक्षिप्त विवरण, बचाव पक्ष (प्रतिवादी अपराधी) का संक्षिप्त विवरण और आगे नोटिस [2021] 1 एस. सी. आर. शामिल हैं।

28 जिन दस्तावेजों को पी. ई. एक्स.–1 से पी. ई. एक्स.–28 तक प्रदर्शित किया गया था, उन पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने भरोसा किया और प्रतिवादी कर्मचारी द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बरकरार रखने में अपने निष्कर्ष को दर्ज किया, जिसमें आरोप संख्या 1 के संदर्भ में असहमति का नोट भी शामिल था। 1 साबित करने के लिए। 24 जुलाई, 1999 के आदेश द्वारा जुर्माने के आदेश की पुष्टि करने के लिए दिए गए विस्तृत कारण इस प्रकार हैं:

" आदेश

कर्मचारी: पुरस्कार

श्री अजय कुमार श्रीवास्थवा, क्लर्क विवेचनात्मक कार्रवाई

मेरे सामने 15 जुलाई, 1999 को श्री ए. के. श्रीवास्तव, कैशियर–सह–क्लर्क, जो वर्तमान में दरियागंज शाखा में निलंबित हैं, के अनुशासनात्मक प्राधिकरण के दिनांक 1 के अस्थायी आदेश के संबंध में प्रस्तुतियाँ/कारण बताएँ नोटिस रखे गए हैं, जिसमें 15 जुलाई, 1999 को किए गए धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित उनके घोर कदाचार के लिए उन्हें बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था।

ममफोर्डगंज शाखा जिसके कारण बैंक को नुकसान हुआ है

उसे। 2. श्री ए. के. श्रीवास्तव ने कहा है कि यह अत्यधिक अवैध है

जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर उनकी टिप्पणी मांगे बिना बर्खास्तगी का अस्थायी आदेश पारित किया है। उनके विचार में, पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट उन्हें उनकी रिपोर्ट मांगने के लिए भेजी गई होगी।

प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हों, जो नहीं की गई हैं। जांच रिपोर्ट को भेजने के लिए बैंक में ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

प्रस्तावित को अंतिम रूप देने से पहले प्रभारित कर्मचारी

सजा। इस संबंध में प्रक्रिया का पालन केंद्र शासित प्रदेश सामान्य प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) v द्वारा किया गया है।

जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भेजे गए हैं।

बचाव पक्ष ने कहा कि बैंक में प्रणाली और प्रक्रिया के अनुसार उस पर प्रस्तावित सजा क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। 3. उनका आरोप कि अभियोजन पक्ष के दस्तावेज उन्हें पहले नहीं दिए गए थे, जिसने उन्हें खुद को दोषी साबित करने के उचित अवसर से वंचित कर दिया क्योंकि वे तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि सभी दस्तावेज उन्हें जांच कार्यवाही के दौरान अवलोकन/टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। जाँच की प्रतियाँ

दिन की कार्यवाही के समापन पर उसी दिन उन्हें कार्यवाही दी गई थी और आरोप में कोई सार नहीं है। जाँच कार्यवाही के पृष्ठ 16 और 17 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि जाँच अधिकारी ने श्री श्रीवास्तव से पूछा था कि क्या वह इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं।

अभियोजन पक्ष के जिन दस्तावेजों पर उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि वह अभियोजन पक्ष के संक्षिप्त विवरण की प्राप्ति के लिए एक सप्ताह के भीतर अपना बचाव संक्षिप्त प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह पूछताछ

5. मैंने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को फिर से पढ़ा है, जिसमें जांच रिपोर्ट, उनके दिनांकित 10.11.1998 और 15.12.1998 के पत्र और जाँच फिर से शुरू करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है क्योंकि श्री श्रीवास्तव को पहले ही अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया

जा चुका था। प्रस्तावित सजा लगाए गए आरोपों के अनुरूप है और उसके खिलाफ साबित होती है जैसा कि अस्थायी क्रम में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए, मैं 29.6.1999 से [2021] 1 एस. सी. आर. के अपने अस्थायी आदेश की पुष्टि करता हूं।

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को शास्त्री पुरस्कार के पैरा 521 (5) (ए) के संदर्भ में बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसे देसाई पुरस्कार के पैरा 18,28 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि दिनांकित 12 वें द्विदलीय समझौते द्वारा संशोधित किया गया है।

14.2.1995 भारतीय स्टेट बैंक और अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के बीच बनाया गया। मैं यह भी आदेश देता हूं कि अवधि बीत गई

उसे भुगतान किया जाएगा। मैं
उसी के अनुसार आदेश देता हूँ।

एसडी /

एएसएसटीटी। सामान्य प्रबंधक (IV)

वितरण प्राधिकरण, तारीखः
24 जुलाई, 1999 "

22. विभागीय अपील जो द्वारा पसंद की गई थी

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी कर्मचारी पर फिर से विचार किया गया और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, सभी को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 15 नवंबर, 1999 के अपने आदेश में अलग से निपटाया गया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार निकाला गया हैः

" 3. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त बिंदुओं की जांच करने के लिए, ।

आरोप–पत्र, अभियुक्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्रों का जवाब, जांच कार्यवाही, पूछताछ अधिकारी के निष्कर्ष, 29 जून, 1999 का अस्थायी आदेश, 24 जुलाई, 1999 का अंतिम आदेश, उनकी सेवा पत्र और मामले के अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अध्ययन किया है। मेरे विचार इस प्रकार हैंः

i) श्री श्रीवास्तव द्वारा उठाए गए लगभग सभी बिंदुओं का, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूछताछ अधिकारी के जवाब में और 24 जुलाई, 1999 के अंतिम आदेश में उपयुक्त जवाब दिया गया है। दिया गया स्पष्टीकरण काफी उचित है और मैं इससे संतुष्ट हूं। उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया गया और जांच फिर से शुरू करने का कोई आधार नहीं था। में निहित आरोप आरोप–पत्र अस्पष्ट नहीं था, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था, और एक को छोड़कर सभी आरोप जांच में साबित हो गए हैं।

(ii) श्री श्रीवास्तव का यह तर्क कि जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पद से ऊपर होना चाहिए,

जिस अधिकारी ने आरोप पत्र जारी किया है, वह सही नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण को जांच और सामान्य प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) v के पद से ऊपर होना चाहिए।

अधिकारी जिसे उसकी ओर से तथ्य का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया है।

(iii) घरेलू पूछताछ शुरू करने पर कोई रोक नहीं है, यदि पुलिस/जांच एजेंसी किसी मामले के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करती है।

उचित समय और उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कई निर्णय दिए हैं।

iv) अनुशासनात्मक प्राधिकरण लंबित निलंबन मामलों की समीक्षा करता है और समीक्षा के बाद किसी भी निलंबित कर्मचारी की बहाली का आदेश दे सकता है। दो कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पर्याप्त गंभीर नहीं थे।

v) दोहरे मानकों और भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोप सही नहीं हैं क्योंकि सभी दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है और पूछताछ के आधार पर जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारी की रिपोर्ट और कर्मचारियों के दुर्भावनापूर्ण/प्रामाणिक आचरण पर उचित विचार। कुछ कर्मचारियों पर पूरक आरोप पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ पहले के आरोप पत्रों के आधार पर जुर्माना लगाया गया है।

vi) निलंबन अवधि का भुगतान, उनके सेवा नियमों के अनुसार, किसी भी प्रभारित कर्मचारी को नहीं किया गया है।

धोखाधड़ी वाले लेन–देन का अपराध और किसी ने भी उसे बर्खास्तगी से कम दंड का वादा नहीं किया था। viii) उसके पत्रों/अभ्यावेदनों का जवाब न देना, जो घरेलू जांच में देरी और परिणामी सजा के लिए है, को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। जाँच 30.11.1997 पर शुरू हुई और उन्होंने स्वयं अपने मामले का बचाव किया जबकि अन्य आरोपित कर्मचारियों ने बचाव प्रतिनिधि का विकल्प चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें अपने मामले का बचाव करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं मिल सका। उन्होंने न तो कोई दस्तावेज माँगा और न ही कोई गवाह/बचाव [2021] 1 एस. सी. आर. पेश करने की इच्छा जताई।

जाँच कार्यवाही के दौरान 12.5.1998 पर इसके समापन तक साक्ष्य। जब उसे लगा कि अभियोजन पक्ष ने पेश किया है

जाँच कार्यवाही के अनुसार पर्याप्त सबूत जो बैंक को धोखा देने की साजिश में उनकी संलिप्तता को साबित करेंगे, उन्होंने अपने खिलाफ निर्णय में देरी करने के लिए बैंक के खिलाफ निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया।

4. इस प्रकार, श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी अपील में उठाए गए बिंदुओं का कोई औचित्य नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आदेशित सजा उसके और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप है

अपीलार्थी का तर्क उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए अच्छा नहीं है जो अन्यथा साबित हुए हैं जैसा कि पूर्ववर्ती में चर्चा की गई है।

परिच्छेद। इस मामले पर पूरी तरह से सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण पूरी तरह से उचित है। बिना किसी सूचना के बर्खास्तगी की सजा देना और श्री श्रीवास्तव द्वारा बिताई गई अवधि को निलंबित मानना और निर्वाह के अलावा वेतन और भत्तों का कोई भुगतान नहीं करना।

उसे पहले से ही भत्ता दिया जा चुका है। इसलिए, मैं अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश का पालन करता हूं।

मैं उसी के अनुसार आदेश देता हूँ। "

23. अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जिसका प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विभागीय/अपीलीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं द्वारा सीमित है।

प्रकट अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून या प्रक्रियात्मक त्रुटियों की और यह एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में गुण-दोष पर मामले के निर्णय के समान नहीं है जिसकी पहले इस न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु में जांच की गई है। टी. वी. वेणुगोपालन 3 और बाद में टी. एन. सरकार में और एक अन्य बनाम। ए. राजपांडियाना और बी. सी. चतुर्वेदी बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आगे की जांच की गई। भारत संघ और अन्य जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 13. अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है। जहाँ अपील प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य या सजा की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की व्यापक शक्ति होती है। एक अनुशासनात्मक जांच में, कानूनी साक्ष्य का सख्त प्रमाण और उस साक्ष्य पर निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या

3 1994 (6) एस. सी. सी. 303

4 1995 (1) एससीसी 216

न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत संघ में v. एच. सी. गोयल [(1964) 4 एस. सी. आर. 718] इस न्यायालय ने पी. 728 कि यदि निष्कर्ष पर,

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचाए गए साक्ष्य पर विचार, विकृत है या अभिलेख के सामने पेटेंट त्रुटि से ग्रस्त है या किसी भी साक्ष्य के आधार पर, प्रमाणपत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है।

24. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के बाद के फैसले में इसका लगातार पालन किया गया है।

महेश दहियाओ और हाल ही में प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2.

और न कि स्वयं निर्णय के गुण। यह व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। न्यायालय/न्यायाधिकरण कर सकता है अपराधी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना यदि वह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है या जहां निष्कर्ष निकलता है।

26. जब लोक सेवक के खिलाफ कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक जांच की जाती है, तो न्यायालय को जांच करनी होती है और निर्धारित कीजिएः ((i) क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी; (ii) क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जाता है; (iii) क्या निष्कर्ष या निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित हैं और प्राधिकरण के पास तथ्य या निष्कर्ष के निष्कर्ष तक पहुंचने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

27. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी पूर्व द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हो या नहीं भी हो सकता है। असहमति के मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को असहमति के कारणों को दर्ज करना होता है और सुनवाई का अवसर प्रदान करना होता है

6 2017 (1) एस. सी. सी. 768

72020 (9) एससीसी 471 [2021] 1 एस. सी. आर.

यदि साक्ष्य उपलब्ध हो तो अपराधी अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

अभिलेख पर इस तरह की कवायद के लिए या आगे की जांच के लिए मामले को जांच अधिकारी को भेजने के लिए पर्याप्त होगा।

28. यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जांच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन केवल आवश्यकता कानून यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप ऐसे साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जो उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए एक उचित व्यक्ति अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बनाए रखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। यह सच है कि केवल अनुमान या अनुमान विभागीय जांच कार्यवाही में भी अपराध के निष्कर्ष को कायम नहीं रख सकते हैं।

29. संवैधानिक न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद 226 या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिवाय दुर्भावना या विकृति के मामले के, यानी जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक इसे बनाए रखना होगा।

30. हाथ में मामले में, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए प्रतिवादी को आरोप पत्र सौंपा गया था

संबंधित अवधि के दौरान शाखा (ममफोर्डगंज शाखा) में रखे गए उनके विभिन्न खातों में जाली क्रेडिट। कुल मिलाकर, उनके खिलाफ गंभीर कदाचार के 7 आरोप लगाए गए थे जो उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए थे। प्रतिवादी को सुनने का अवसर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उचित अनुपालन, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार करते हुए विशेष रूप से संकेत दिया कि जांच रिपोर्ट के विवरण में 22 पृष्ठों के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत अधिकारी द्वारा चिह्नित किया गया था

पी. ई. एक्स.–1 से पी. ई. एक्स.–28 प्रत्यर्थी अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों/आरोपों को स्थापित करने के लिए, जिसने न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही

अपने बचाव में गवाह। यह आगे संकेत दिया गया कि प्रतिवादी ने जांच के दौरान कहा कि वह न तो अभियोजन दस्तावेज के बारे में कुछ कहना चाहता है और न ही वह प्रस्तुत करने वाले अधिकारी से कोई सवाल पूछना चाहता है और कभी भी अपनी पसंद के प्रतिनिधि का बचाव करने की अनुमति लेने का अनुरोध नहीं किया।

31. विभागीय जांच के समापन पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और प्रतिवादी अपराधी द्वारा प्रस्तुत लिखित नोट के साथ, जांच अधिकारी ने जांच के रिकॉर्ड को तैयार किया और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक आरोप के संदर्भ में एक निष्कर्ष दर्ज किया। 1 साबित नहीं हुआ और आरोप संख्या। 2–7 अपराधी प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित हुआ।

32. बाद में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा और आरोप संख्या के संदर्भ में असहमति के नोट के अलावा इस पर पुनर्विचार किया गया। 1 , अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया

आरोप संख्या के लिए उनकी रिपोर्ट। 2 7 को और अपनी प्रथम दृष्टया राय के साथ, प्रत्यर्थी से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने और द्वारा उठाई गई आपत्तियों से निपटने का आह्वान किया प्रत्यर्थी ने अपने लिखित उत्तर में अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए अपने संक्षिप्त कारणों को व्यक्त किया और 24 जुलाई, 1999 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने की अपनी राय की पुष्टि की और अपीलीय प्राधिकरण ने भी बाद में अपील पर पुनर्विचार किया और कारण बताए जाने के बाद प्रतिवादी को दिए गए दंड के आदेश को बरकरार रखने में तथ्य के निष्कर्ष की पुष्टि की।

33. वह निवेदन जिसने उच्च न्यायालय को इस मामले में राजी किया

विवादित निर्णय मूल रूप से दो कारणों से होता है। सबसे पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप संख्या के संदर्भ में असहमति दर्ज किए जाने से पहले। 1 , प्रतिवादी अपराधी को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था और इससे उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। दूसरा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण ने रिकॉर्ड की जांच नहीं की है

स्वतंत्र रूप से अनुशासनात्मक जांच की और बिना उचित दिमाग के एक गैर–बोलने वाला आदेश पारित किया और यह वही है जो उच्च स्तर पर प्रबल था

प्रतिवादी अपराधी पर लगाए गए दंड को रद्द करने के विवादित फैसले में न्यायालय।

शुल्क सं। 1 संबंधित है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए सार मिलता है कि जाँच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यदि जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत नहीं था, तो वह अपनी असहमति के कारणों को दर्ज करने और अपराधी को अपने अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले उसके स्पष्टीकरण के लिए बुलाने के लिए बाध्य था और निर्विवाद रूप से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया [2021] 1 एस. सी. आर. नहीं थी।

इसका पालन किया गया और इसने प्रतिवादी के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है और वास्तव में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। हमारा विचार है कि जहां तक आरोप संख्या 1 के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज अपराध के निष्कर्ष का संबंध है, उसे दोषी ठहराने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

35. लेकिन यह हमें इस कारण से और नहीं रोक सकता है कि

शुल्क सं। 1 जिसके संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पलट दिया गया है, वह अन्य आरोपों से अलग है (आरोप संख्या। 2–7) प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप लगाए गए जो पूछताछ अधिकारी द्वारा साबित पाए गए और विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किए गए अपने लिखित संक्षिप्त विवरण में प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को पूरा करने के बाद अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा तथ्य के निष्कर्ष की पुष्टि की गई।

36. यदि बर्खास्तगी का आदेश आरोप के निष्कर्षों पर आधारित था

नहीं। 1 अकेले, न्यायालय के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करना संभव होता, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में आरोप संख्या के संदर्भ में अपराध दर्ज किए जाने पर। 2–7 और

अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी और उन निष्कर्षों ने गंभीर अपराध के अपराध को स्थापित किया

जो, हमारे विचार में, प्रत्यर्थी कर्मचारी को बर्खास्त करने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक स्पष्ट त्रुटि थी।

37. यह संविधान पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम विद्याभूषण महापात्रा (उपर्युक्त) में यह न्यायालय जिसमें यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 9. उच्च न्यायालय ने माना है कि समर्थन करने के लिए सबूत थे

न्यायाधिकरण और यह राज्यपाल द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं था। उच्च न्यायालय की दृष्टि में आरोप 1 (ए) और 1 (ई) के संबंध में

" प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया था। द.

न्यायाधिकरण की सिफारिश निस्संदेह इसके आधार पर की गई थी

आरोप (1) के तहत शीर्षों को बनाए नहीं रखा जा सका, क्योंकि निष्कर्षों पर पहुंचने में न्यायाधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (अपीलीय प्राधिकरण) v.

हमारे लिए यह विचार करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि आरोप 1 (ए) और 1 (ई) पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष उसके द्वारा निर्धारित कारणों से दूषित किए गए थे, क्योंकि हमारे निर्णय में सरकार को सजा के सवाल पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को, हम वर्तमान में जिन कारणों को निर्धारित करेंगे, उनके लिए कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि बर्खास्तगी का आदेश अकेले आरोप 1 (ए) और 1 (ई) पर निष्कर्षों पर आधारित था, तो न्यायालय ने

बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करने की अधिकारिता लेकिन जब पहले आरोप के पांच में से दो प्रमुखों और दूसरे आरोप से संबंधित न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया और उन निष्कर्षों ने स्थापित किया कि प्रतिवादी प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध का दोषी था, तो हमारे विचार में उच्च न्यायालय के पास राज्यपाल को निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं थी

उड़ीसा को बर्खास्तगी के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए "।

38. बिन्नी लिमिटेड के मामले में इस अदालत ने आगे इस पर विचार किया। बनाम पुरुष 8 निम्नानुसारः

" .....यह आग्रह किया गया कि न्यायालय को यह नहीं मानना चाहिए था कि महाप्रबंधक ने केवल दूसरे आरोप के आधार पर बर्खास्तगी की सजा दी होगी और इसके परिणामस्वरूप सजा को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए यदि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

जिन दो आरोपों के आधार पर यह आरोप लगाया गया था

अस्थिर। उड़ीसा राज्य बनाम में निर्णय के बाद इसे खारिज कर दिया गया था। बिद्याभूषण महापात्रा [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 779], जहाँ यह कहा गया था कि यदि अनुच्छेद 311 के तहत जांच

में किसी आदेश को किसी भी निष्कर्ष पर पर्याप्त दुराचार के रूप में समर्थित किया जा सकता है कौन सी सजा कानूनी रूप से दी जा सकती है, यह न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए नहीं है कि क्या अकेले उस आधार ने प्रश्नगत सजा को लागू करने में प्राधिकरण के साथ वजन किया होगा। हमारा मानना है कि यह सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है। यद्यपि जाँच अधिकारी ने वास्तव में पाया कि प्रत्यर्थी ने गोदाम मालिक के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया था, लेकिन वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि अनुशासनहीनता का यह कार्य एक व्यक्ति पर किया गया था।

बर्खास्तगी का आदेश देने के लिए अवसर पर्याप्त था।

एससीसी 806 [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. एक बार फिर, स्वर्ण सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

19. इसे ध्यान में रखते हुए, आयुक्त के आदेश में कुछ अप्रासंगिक मामलों की कमी या संदर्भ ने अपील या पुनरीक्षण स्तर पर गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला था। इस प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि जहां एक घरेलू न्यायाधिकरण का आदेश कई आधारों का संदर्भ देता है, कुछ प्रासंगिक और मौजूद, और अन्य अप्रासंगिक और गैर-मौजूद, आदेश तब कायम रहेगा जब न्यायालय का समाधान हो कि प्राधिकरण ने प्रासंगिक और मौजूदा आधारों के आधार पर आदेश पारित किया होगा, और अप्रासंगिक या गैर-मौजूदा आधारों के बहिष्कार से अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं हो सकता था। बिद्याभूषण महापात्रा [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 779]।

40. संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि जो आरोप साबित हो चुके हैं, उनके दंड लगाने को उचित ठहराने के बाद भी न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

41. जहाँ तक अधीनता जो उच्च पर प्रबल रही है

अदालत ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश एक गैर-मौखिक आदेश था, जो हमारे विचार में, बिना सोचे समझे पारित किया गया था, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री द्वारा तथ्यात्मक रूप से समर्थित नहीं है।

42. हाथ में मामले में, अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण को निर्णय पारित नहीं करना था, हालांकि दिनांकित आदेश पारित करते समय

24 जुलाई, 1999 में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच के रिकॉर्ड पर ध्यान दिया था, जिसमें 22 मई, 1999 की स्व-निहित जांच रिपोर्ट और 29 जून, 1999 की उनकी प्रथम दृष्टया राय शामिल थी, जो प्रतिवादी कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई थी और अपराधी द्वारा उठाई गई लिखित आपत्तियों को सुनने और पूरा करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, 24 जुलाई, 1999 के अपने आदेश द्वारा अपराध के निष्कर्ष और बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखने के लिए अपने संक्षिप्त कारण व्यक्त किए। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा दी गई अपील की अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी क्योंकि यह जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष को बरकरार रखने में पैरा 3 (i) से (viii) के तहत पता चलता है सेवा से प्रत्यर्थी कर्मचारी, जिसे 15 नवंबर, 1999 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। विस्तृत चर्चा के बाद, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं

उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय सेटिंग के तहत दर्ज किया गया निष्कर्ष

9 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 232 डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकरण) v. अजय कुमार श्रीवस्तवा [अजय रस्तोगी, जे.]

अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश जो रद्द किए जाने के योग्य हैं।

43. निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बैंकिंग व्यवसाय में पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी अनिवार्य है।

बैंक कर्मचारी। इसके लिए कर्मचारी को अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के धन से निपटता है और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास बिगड़ जाएगा। इसी अतिरिक्त कारण से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर, 1999 के आदेश द्वारा विभागीय अपील में पुष्टि किए गए 24 जुलाई, 1999 के प्रतिवादी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।

44. नतीजतन, अपीलें सफल होने के योग्य हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है और 13 सितंबर, 2018 के विवादित उच्च न्यायालय के फैसले को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

45. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।